



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

(जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर करौली)
(फोन नं. 07464-294026, ईमेल-dlsa25karauli@gmail.com)

क्रमांक::डालसा/2026/30

दिनांक: 12-02-2026

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी DIRECTIVES for Efficient and Managed Utilization of Para Legal Volunteers for DLSAs and TLSCs in Rajasthan 2025 एस.ओ.पी. क्रमांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025, पत्रांक RLSA/2026/878-921 दिनांक 16.01.2026 के निर्देशानुसार रालसा पत्रांक एफ 8(01)/रालसा/पीएलवी स्कीम/3408.3442 दिनांक 21.05.2013 द्वारा प्राप्त पीएलवी स्कीम के तहत करौली न्यायक्षेत्र में स्थित जिला प्राधिकरण/तालुकाओं पर पैरालीगल वॉलेन्टियर्स (पी.एल.वी.)/अधिकार मित्र के रूप में बाद प्रशिक्षण चयन कर पैनलित करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र. सं.	संबंधित प्राधिकरण/तालुका /पंचायत समिति का नाम	क्षेत्राधिकार की पंचायत समिति का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जाना है	पैरालीगल वॉलेन्टियर्स (पी.एल.वी) पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली	करौली	05
		सपोटरा	02
		मण्डरायल	02
		मासलपुर	02
2	तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौन	हिण्डौनसिटी	04
3	तालुका विधिक सेवा समिति श्रीमहावीरजी	श्रीमहावीरजी	02
		नादौती	02
4	तालुका विधिक सेवा समिति टोडाभीम	टोडाभीम	04
कुल			23

(1) **शैक्षणिक योग्यता:-** आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिये। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने व पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिये।

(2) **आवेदन पत्र:-** इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षा:-** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं बाद प्रशिक्षण पैरा लीगल वॉलेन्टियर को सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में सम्मिलित किया जावेगा।

(4) **चरित्र:-** आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहियें।

(5) **शारीरिक योग्यता:-** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिये।

Man

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किया जावे-

- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकेण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।
- जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- आधार कार्ड/राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।
- आवेदक द्वारा जिस प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
- किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र।
- यदि आवेदक सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी/वरिष्ठ नागरिक/एम.एस.डब्ल्यू छात्र या छात्रा व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/डॉक्टर/फिजीशियन/छात्र/छात्रा/व विधि छात्र/छात्रा (जब तक वकालत के लिए एनरोल न हो)/गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(7) आवेदन की अंतिम तिथि:- आवेदन पत्र इस कार्यालय में **दिनांक 23.02.2026 को सांय 05:00 बजे** तक पहुंच जाना चाहिये। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न नहीं होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता:- पैरा लीगल वॉलेन्टियर का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो पड़ोस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अवलोकन पश्चात् किया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति भी पैरा लीगल वॉलेन्टियर चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं:-

- सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी,
- वरिष्ठ नागरिक,
- एम.एस.डब्ल्यू, छात्र-छात्रा व अध्यापक,
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
- सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह,
- छात्र-छात्रा,
- विधि छात्र-छात्रा (जब तक वकालत के लिए एनरोल न हो)
- गैर राजनीतिक दलों के सदस्य
- डॉक्टर/फिजीशियन
- अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे



(9) चयनित पैरा लीगल वॉलेन्टियर के कर्तव्य (ड्यूटी):-

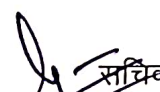
- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।
- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना एवं उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- विवादो का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीडित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी देना एवं उनकी उपयोगिता बताना।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादो का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल संबंधी सेवाओं, बैंक और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर द्वारा उनके क्षेत्र में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मटेरियल का प्रचार-प्रसार करना।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर चिन्हित प्रपत्र में प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यों का विवरण जिला प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- पंचायत समिति पर स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक के कार्य करने वाले पी.एल.वी. को समय-समय पर दिये जाने वो प्रशिक्षण को ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- पैरा लीगल वॉलेन्टियर विधिक सेवा क्लिनिक पर उपलब्ध रजिस्टर व विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज कर स्वयं द्वारा प्रमाणित करेंगे। माह की समाप्ति के उपरान्त रिपोर्ट संबंधित माह व रजिस्टर, विहित डायरी में किये गये इन्द्राज मय प्रमाणिकरण की स्व-प्रमाणित छायाप्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के कार्यालय में प्रेषित करेगा।

(10) साक्षात्कार :- करौली न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पैरा लीगल वॉलेन्टियर (पी.एल.वी.) के साक्षात्कार की तिथि व स्थान एवं अन्य आदेशों, कर्तव्यों, नियमों की सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित जिला प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवाई जायेगी। पृथक से किसी भी अभ्यर्थी को सूचना नहीं भेजी जावेगी। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।



(11) स्पष्टीकरण:- यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पैरा लीगल वॉलेन्टियर के कार्य हेतु इच्छुक जिला प्राधिकरण/तालुका/पंचायत समिति का नाम अंकित करना आवश्यक है। आवेदक कहां पर अर्थात् किस क्षेत्र में पीएलवी के रूप में कार्य करना चाहता है। उस प्राधिकरण/तालुका/पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिला प्राधिकरण/तालुका/पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पड़ोस की तालुका/पंचायत समिति के निवासी के आवेदक के आवेदन पर विचार किया जावेगा। प्रशिक्षण प्राप्त पीएलवी को माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट:- आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली, तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौनसिटी, श्रीमहावीरजी, टोडाभीम के कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही जिला करौली की वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

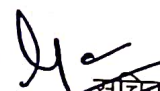

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
करौली

क्रमांक: डालसा/2026/790-813

दिनांक: 12-02-2026

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, करौली।
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, करौली।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, हिण्डौन/श्रीमहावीरजी/टोडाभीम को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके द्वारा विज्ञप्ति की एक-एक प्रति संबंधित अध्यक्ष वार संघ को उपलब्ध करवायी जावे।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा/नादौती को प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा विज्ञप्ति की एक-एक प्रति संबंधित अध्यक्ष वार संघ को उपलब्ध करवायी जावे
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली
7. आयुक्त, नगर परिषद, करौली।
8. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को करौली जिले की समस्त एनजीओं में भिजवाने का श्रम करें।
9. अधीक्षक जिला कारागृह करौली/हिण्डौन सिटी।
10. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, करौली।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, करौली।
13. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय करौली (विज्ञप्ति मय प्रारूप) न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
14. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, करौली
15. सम्पादक, दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका/राष्ट्रदूत/दैनिक नवज्योति करौली।
16. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
17. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली
18. आदेश/रक्षित पत्रावली


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
करौली



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

(जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर करौली)

(फोन नं. 07464-294026, ईमेल-dlsa25karauli@gmail.com)

पैरा लीगल वॉलेन्टियर (पी.एल.वी.) के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	नाम आवेदक	:		अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2.	पिता/पति का नाम	:		
3.	आवेदक के पति/पत्नि का नाम (यदि विवाहित हो तो) (यदि आवेदक अविवाहित हो तो स्पष्टतः "अविवाहित" लिखें)	:		
4.	जाति	:		
5.	संवर्ग-सामान्य/अजा/अजजा/अपिवर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:		
6.	स्थायी पता मय दूरभाष/मोबाईल नंबर /ई-मेल आई.डी.	:		
7.	वर्तमान पता	:		
8.	स्थानीय तालुका/पंचायत समिति का नाम	:		
9.	पडौस की पंचायत समिति का नाम	:		
10.	आवेदक पी.एल.वी. के रूप में जिस तालुका/क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, उस तालुका का नाम	:		
11.	निकततम पुलिस स्टेशन	:		
12.	जन्म तिथि (अंको में)	:		
	(शब्दों में)	:		
13.	वर्तमान आयु	:		
14.	शैक्षणिक योग्यता	:		
15.	यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए	:		
16.	आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण दें।	:		
17.	यदि आवेदक ने पूर्व में किसी संस्था के साथ कार्य किया है तो उसका संक्षिप्त विवरण दें। (हां/नहीं)	:		
18.	कम्प्यूटर ज्ञान (हां/नहीं)	:		

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
निवासी सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में
अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं.....
तालुका/पंचायत समिति.....में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ।

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)